POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2021/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से उपजी अनेक समस्याओं और चुनौतियों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इनमें से जन-कल्याण को सर्वोच्च माना है और इसके लिए नीति निर्माण की बात भी की है।

यह साफ है, देश में महामारी ने पिछले कई सालों की प्रगति पर पानी फेर दिया है। इसका सबसे बुरा असर न केवल करोड़ों गरीबों पर पड़ा है, बल्कि मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) की आबादी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे गरीबों की संख्या में बेहद बढ़ोतरी दर्ज हुई है और उसकी मुख्य वजह आर्थिक संकट का होना है।

कोरोना की पहली लहर में ही इस श्रेणी के करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। जैसे-तैसे इस तबके के लोगों ने उठने की कोशिश की, दूसरी लहर ने इसे भी मटियामेट कर दिया। सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए एक सर्वे रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि इस आबादी के 90 फीसदी परिवारों को जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल पाया और उनमें से कईयों ने अपनी पारिवारिक संपत्ति तक बेच दी।

महामारी के अब तक के दौर से देश के औद्योगिक क्षेत्र, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसका असर ग्रामीण रोजगार पर पड़ा। गांवों में केवल कृषि और मनरेगा ही रोजगार का विकल्प बन कर रह गए। दूसरी लहर के गांवों तक पहुंचने एवं लॉकडाउन के चलते, इसमें भी काफी अवरोध सामने आया।

मेरा मानना है 'देश में एक ऐसी नीति बने, जिसमें श्रमिक कल्याण और उद्योग कल्याण का सहअस्तित्व कायम हो, ताकि श्रमिक कल्याण उद्योगों की प्रगति का कारक बन सके।' यह हमारे समग्र समाज व सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें चेतना होगा, कोरोना की तीसरी लहर अभी बाकी है...

पैकेटबंद खाद्य पदार्थ, दे रहे हैं बीमारी को दावत

पैकेटबंद खाने की चीजों में वसा, शुगर, नमक की अधिकतम मात्रा के मानक दुनियाभर में तय है। मानकों से ज्यादा मात्रा होने पर पैकेट के ऊपरी भाग पर 'अनहेल्दी' जैसा चेतावनी लेबल लगाना पड़ता है। दो साल पहले भारत में भी यह मानक तय हुए, लेकिन कंपनियों के दबाव में लागू ही नहीं हुए।

विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि भारत में करीब 60 फीसदी मौतों का कारण जीवन शैली आधारित गैर संक्रामक बीमारियां हैं। ज्यादा मात्रा में वसा, शुगर और नमक इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में इनकी मात्रा अधिक होने से कैंसर, मोटापा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज का खतरा रहता है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर 'चेतावनी' के लेबल की जगह 'हेल्थ स्टार' रेटिंग (एचएसआर) अपनाने की तैयारी में है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इससे लोग नुकसानदेह खाने के प्रति सावधान नहीं होंगे। 'हेल्थ स्टार' रेटिंग की कवायद, कंपनियों के लिए बचाव का रास्ता हो सकता है। क्योंकि, इससे यह पता नहीं चलेगा कि पैकेटबंद उत्पाद में नमक, शुगर या वसा के मानक ज्यादा है। नुकसानदेह खाने में भी प्रोटीन और फाइबर आदि बढ़ाकर अच्छी रेटिंग ली जा सकती है। मद्देनजर उपभोक्ता संगठन इसके लिए राजी नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे उपभोक्ता फिर छला जाएगा और बीमारी को दावत देता रहेगा। उपभोक्ता संस्था 'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक और एफएसएसएआई सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रहे जॉर्ज चेरियन कहते हैं कि 'चेतावनी लेबल' जरूरी है।

खाने में निकला कीड़ा, आईआरसीटीसी पर लगाया हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग धौलपुर में चन्द्रेश कुमार जैन ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड ट्यूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार उन्होंने भोपाल जाने के लिए भारतीय रेलवे की ऑनलाइन साइट पर दो सीट (स्वयं के लिए और अपनी पत्नी हेमलता के लिए) बुक कराई। 30 मार्च 2018 को किराया राशि और यात्रा के दौरान भोजन, पानी, नाश्ता और शीतल व गर्म पेय उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एक मुश्त 2270 रुपए भी आनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए भुगतान कर दिए। उन्होंने व उनकी पत्नी ने धौलपुर से यात्रा शुरू की तथा रास्ते में रेलगाड़ी कोच में भोजन आदि मंगाया। आईआरसीटीसी के कर्मचारियों ने थाली में खाना परोसा तो सब्जी में कीड़ा मिला। इसकी शिकायत उन्होंने कोच में तैनात सुपरवाइजर से की तो उसने भी पल्ला झाड़ लिया। फलस्वरूप उन्हें व उनकी पत्नी को भूखा रहना पड़ा।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड ट्यूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा दी गई सेवाओं को सेवा दोष की श्रेणी में मानते हुए आईआरसीटीसी को आदेश दिया कि परिवादी चन्द्रेश कुमार जैन को क्षतिपूर्ति स्वरूप 10,000 रुपए और 2,000 रुपए परिवाद खर्च सहित 12,000 रुपए अदा करें। साथ ही अलग से 10,000 रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में भी जमा कराएं।

राजस्थान में जैविक उत्पादन और उपभोग का बढ़ता चलन-एक सुखद संकेत

वर्ष 2017 में एक बेसलाइन सर्वेक्षण में जहां 86 फीसदी उपभोक्ता इस बात से जागरूक थे कि रासायनिक तरीके से उगाए गए उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्हीं उपभोक्ताओं से वर्ष 2021 में प्राप्त एंडलाईन सर्वेक्षण में यह जानकारी बढ़कर 97.4 फीसदी हो गई है। इसी तरह वर्ष 2017 में जहां 19 फीसदी किसान ही जैविक खेती कर थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है। यह भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है।

यह सर्वेक्षण उपभोक्ता संस्था 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा प्रदेश के दस जिलों में संचालित प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत करवाया गया। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि जैविक खेती और जैविक पदार्थों के उपभोग के प्रति किसानों व उपभोक्ताओं में कितना रुझान बढ़ा है।

एक रोचक प्रश्न के जवाब में सामने आया कि 66.8 फीसदी उपभोक्ता वर्तमान में जैविक उत्पाद खरीदने लगे हैं, जबकि वर्ष 2017 के दौरान यह केवल मात्र 39 फीसदी ही था। अर्थात लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति तेजी से रुझान बढ़ा है।

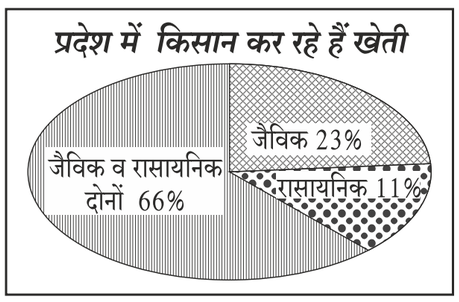

इसी तरह सर्वे में यह भी तथ्य सामने आया कि 23 फीसदी किसान पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं, वहीं 11 फीसदी किसानों ने बताया कि वे रासायनिक खेती कर रहे हैं, जबकि 66 फीसदी किसानों का कहना है कि वे रासायनिक और जैविक दोनों ही तरीकों से खेती कर रहे हैं।

दूसरी तरफ 2017 में 19 फीसदी पूर्ण रूप से जैविक, 26 फीसदी रासायनिक तथा 35 फीसदी किसान रासायनिक और जैविक दोनों तरीकों से खेती कर रहे थे। सर्वेक्षण के दौरान गुणात्मक विश्लेषण के तहत 2390 नमूनों के साथ एंडलाइन सर्वेक्षण में परियोजना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों का मत है कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए राज्य में जैविक खेती आयोग या निगम बनाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार को वे सभी प्रयास करने चाहिए, जिससे जैविक खेती को तेजी से प्रोत्साहन मिल सके।

मनरेगा रोजगार में फिर बनेगा रेकॉर्ड

कोरोना काल में पिछले साल प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका देकर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनी मनरेगा फिर से नया रेकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। राज्य में मनरेगा ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देकर एक रेकॉर्ड बनाया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि रोजगार के मामले में पिछले रेकॉर्ड को तोड़ देगा। कोरोना की दूसरी लहर में चालू साल में मजदूरों की संख्या बढ़ती दिख रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से लौटकर आ रहे हैं, उन्हें मनरेगा में काम मिल सकेगा।

अनाथ हुए बच्चों को सरकारी मदद

प्रदेश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इसके तहत अनाथ बच्चों को तत्काल एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 18 साल के होने तक हर माह 2500 रुपए और उसके बाद एकमुश्त पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए कक्षा 12 तक पढ़ाई मुफ्त कराई जाएगी।

कोरोनाकाल में हुई विधवाओं को एकमुश्त एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही हर माह 1500 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। विधवा के बच्चों के लिए हर माह 1000 रुपए और किताबों व ड्रेस के लिए सालाना 2000 रुपए दिए जाएंगे।

महामारी से निपटने के लिए बड़ी घोषणा

केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में सेहत के लिए बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत भविष्य में महामारी से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए की भागीदारी केंन्द्र की होगी और 8 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी।

मंडाविया ने बताया कि 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे एवं कोरोना राहत कोष के तहत 20,000 आइसीयू बेड बनाए जाएंगे। हर जिले में एक करोड़ की दवा का बफर स्टॉक होगा एवं हर जिले में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी।

जाहोता बना 'ओडीएफ प्लस' गांव

जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति में स्थित जाहोता गांव को प्रदेश का पहला 'ओडीएफ प्लस' ग्राम घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत केंद्र सरकार की टीम ने ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों एवं ग्राम पंचायत की स्वच्छता का निरीक्षण किया और जाहोता को 'ओडीएफ प्लस' गांव घोषित करने की सहमति प्रकट की।

गौरतलब है, ग्राम पंचायत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर पिछले 10 माह से लगातार काम कर रही है और इस काम में आमजन का भी पूरा सहयोग मिला है।

नहीं हारी हिम्मत मेहनत से पाया मुकाम

अलवर जिले के बानसूर के गांव खेड़ा की रहने वाली रेशम देवी के अचार की महक अब महानगरों तक पहुंच चुकी है। कोरोना के दौरान जब घर के पुरुष सदस्यों के पास कोई काम नहीं रहा तो उसने घर पर ही अचार बनाने का काम शुरू किया।

रेशमा के समूह से जुड़ी महिलाओं को उनके हाथ का अचार बहुत पसंद आया। इसके बाद रेशमा ने कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया और घर पर अचार बना बाजार में बेचना शुरू कर दिया। अब वह कई तरह के अचार बड़ी मात्रा में बेचकर अच्छी कमाई कर रही है और अपने बलबूते पर पूरा घर का खर्च चला रही है।

गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एंबेसडर होंगे और इसे पूरे देश में बढ़ावा देंगे। उन्होंने जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की पहली स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार पैदा करने के लिए शुरू की गई है।

गाय के गोबर से बनाया गया यह पेंट डिस्टेंपर और इमल्शन में मिलेगा। यह पेंट पर्यावरण अनुकूल, गंधहीन और सस्ता होगा। उन्होंने कहा वह इसे पूरे देश में बढ़ावा देंगे ताकि युवा उद्यमियों को पेंट का निर्माण करने को प्रोत्साहित किया जा सके। हमारा लक्ष्य प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित करने का होना चाहिए।

ग्रामीण युवाओं को मिले कौशल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भविष्य में ग्रामीण स्तर पर युवाओं की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। गांवों में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर की मांग बढ़ेगी। ऐसे में, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर जैसे कोर्स में प्रशिक्षित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रेनिंग देने वाली फर्म से किए समझौते की शर्तों के मुताबिक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्किल डवलपमेंट के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य तय कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

जैसा कि विदित है ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इसी क्रम में इस साल 'कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से बूंदी जिले के पत्रकार पीयूष शर्मा को वर्ष 2020 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

पीयूष शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा बूंदी जिले की तहसील केशोरायपाटन के निवासी हैं तथा हलधर टाइम्स में उपसम्पादक पद पर कार्यरत हैं। श्री शर्मा को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर